

संख्या-3683/81-2-2022-800(144)/2019

प्रेषक,

नीता चौधरी,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 फरवरी 2023

विषय- कार्यापरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन०एच०-80) किमी० 05 दायीं पट्टी खसरा संख्या-30 ग्राम दौलताबाद तहसील कोल जनपद अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे० संरक्षित वनभूमि का विना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (पस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2054/11 सी एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 16.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र दिनांक 16.12.2022 में संलग्न अभिलेखों के अनुसार तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अलीगढ़ को भी दोषी बताया गया है, किन्तु इनके विरुद्ध कार्यवाही कर कोई प्रस्ताव शासन को नहीं उपलब्ध कराया गया है ?

कृपया उपरोक्तानुसार रिश्त स्पष्ट करते हुए सुराष्ट आख्या/सम्भाव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

Date. 06-03-2023 17:17:19

Reason: (नीता चौधरी)

उप सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 2880/11सी- FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक, लखनऊ, मार्च 10, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली, रोड एन०एच० 24, पोस्ट पकवाड़ा, जिला-मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।